<u>दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को दोपहर 2:00 बजे बरद सदन के बैठक कक्ष, शैक्षणिक खंड, सिक्किम विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक का कार्यवृत</u>

दिनांक 9 दिसम्बर 2019 को दोपहर 2:00 बजे बरद सदन के बैठक कक्ष में कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1.	प्रो.अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	प्रो. आद्य प्रसाद पांडे कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय	-	सदस्य
3.	प्रो. गुरमीत सिंह, कुलपति, पांडेचरी विश्वविद्यालय,	-	सदस्य
4.	डॉ. रमेश कुमार यादव अध्यक्ष हरियाणा किसान एवं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग	-	सदस्य
5.	श्री जी.पी. उपाध्याय अपर मुख्य सचिव, एचआरडीडी सिक्किम सरकार, गंगटोक	-	सदस्य
6.	प्रो. इंदर मोहन कपाही, प्रोफेसर और सलाहकार, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	-	सदस्य
7.	श्री ताशी डेंसपा, निदेशक, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी, गंगटोक, सिक्किम	-	सदस्य
8.	प्रो.महेंद्र सिंह सेवेदा प्रोफेसर और अध्यक्ष नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियरिंग विभाग केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानीपूल,पूर्वी सिक्किम	-	सदस्य
9.	प्रो. अभिजीत दत्ता डीन, व्यवसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
10.	प्रो. नवल के पासवान डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
11.	डॉ. के. आर. राम मोहन डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
12.	डॉ. कबिता लामा, डीन, भाषा और साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
13.	डॉ. लक्ष्मण शर्मा डीन, विद्यार्थी कल्याण	-	सदस्य

14.	प्रो. एन. सत्यनारायण प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
15.	डॉ. सुबीर मुखोपध्याय, सह प्राध्यापक, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
16.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ	-	विशेष आमंत्रित
17.	श्री देबाशीष पाल वित्त अधिकारी	-	विशेष आमंत्रित
18.	श्री टी. के. कौल कुलसचिव	-	सचिव

प्रो. कैलाश चन्द्र शर्मा, प्रो. बिद्युत चक्रबर्ती और गंगा प्रसाद प्रसाइन उनके पूर्व-निर्धारित कार्य होने के कारण बैठक में में उपस्थित नहीं हो सकें और अनुपस्थिति के लिए अवकाश की छुट्टी मांगी है।

श्रीमति ग्रेस डी. चेंकापा, सहायक कुलसचिव और श्री सत्यम राणा परिषद को सहायता प्रदान करने के लिए उपस्थित थे।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति ने परिषद के सभी सदस्यों का 34 वीं बैठक में स्वागत किया। उन्होने विशेष रूप से बैठक में पहली बार भाग ले रहे प्रो. गुरमीत सिंह, प्रो. इंदर मोहन कपाही और श्री ताशी डेंसपा का स्वागत किया।

कुलपति ने परिषद को सूचित किया कि छात्र संघ कार्यकारी समिति सदस्यों ने उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने एक बार विशेष मामले के रूप में सुसा के प्रतिनिधि को ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात, सुसा के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई जिसे उन्होंने पढ़कर अध्यक्ष को सौंप दिया। इसके बाद, वे बैठक से चले गए।

इसके बाद एजेंडा विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी:

खंड-1
कार्यवृत की संपुष्टि एवं कारवाई रिपोर्ट

आईसी 34.1.1: दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि

दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक के कार्यवृत सभी सदस्यों को दिनांक 8 जुलाई 2019 को वितरित किया गया था। परिषद के किसी सदस्यों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक के कार्यवृत 8 जुलाई 2019 को वितरित किए जाने के अनुसार पुष्टि की जाती है।

आईसी 34.1.2: दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक के कार्यवृत पर ली गयी कारवाई की रिपोर्ट

सचिव के कार्यकारिणी परिषद की 33वीं बैठक के कार्यवृत पर ली गयी कारवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कारवाई का उल्लेख किया।

खंड - 2

सूचनात्मक विषय

शून्य

खंड -3

अनुसमर्थित विषय

ईसी 34.3.1: डॉ. सेबस्टियन एन., सहायक प्राध्यापक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की प्रतिनियुक्ति का विस्तार

परिषद ने उल्लेख किया कि डॉ. सेबस्टियन एन, सहायक प्राध्यापक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग को प्रतिनियुक्ति पर राजनीति विज्ञान विभाग, कालीकूट विश्वविद्यालय में सह प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किया गया है। उन्होंने दिनांक 6 नवंबर 2019 से एक और वर्ष के लिए अपने प्रतिनियुक्ति के विस्तार के लिए अनुरोध किया था। हालांकि, कुलपति ने दिनांक 6 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक के अवधि विस्तार को मंजूरी प्रदान की है।

परिषद ने दिनांक 6 नवंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक कालीकूट विश्वविद्यालय में डॉ. सेबस्टियन एन. सहायक प्राध्यापक की प्रतिनियुक्ति के विस्तार पर कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 34.3.2: गैर-शिक्षणिक पदों पर नियुक्ति

परिषद ने उल्लेख किया कि दिनांक 15 फरवरी, 2019 को 'ख' और 'ग' श्रेणी के अंतर्गत कई गैर-शिक्षण पदों के लिए विज्ञापन जारी की गई थी। लिखित परीक्षा दिनांक 31 अगस्त 2019 को आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर नीचे प्रत्येक के सामने दिये गए पदों के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थीयों का चयन किया गया और नियुक्ति पत्र जारी किया गया:

फार्मेसिस्ट (अनारक्षित):	श्रीमति. मींगमा अंगी शेर्पा	चयनित
	सुश्री. बिद्या शर्मा	प्रतीक्षारत
प्रयोगशाला परिचर (एसटी):	सुश्री छिरिंग डिक्की भूटिया	चयनित
	श्री. पल्डेन लेप्चा	प्रतीक्षारत
	सुश्री. चुँग चुँग भूटिया	प्रतीक्षारत
प्रयोगशाला परिचर: (पीडबल्यूडी-ओएच)	कोई चयनित नहीं	
पुस्तकालय परिचर (अनारक्षित):	श्रीमति नीरकला गुरुंग	चनयनित
	श्री. महेंद्र प्रधान	प्रतीक्षारत
	श्री. अनुष राई	प्रतीक्षारत
	श्री. सूजल छेत्री	प्रतीक्षारत
पुस्तकालय परिचर: अनारक्षित (पीडबल्यूडी-ओएच)	सुश्री. सृजना छेत्री	चनयनित

कार्यकारी परिषद ने उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के तहत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि व्यक्तिगत सहायक के पद के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों के लिए आशुलिपि परीक्षा दिनांक 10 दिसंबर 2019 को निर्धारित की गई है। परिषद ने आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के बीच लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया।

ईसी 34.3.3: हिंदी अधिकारी के पद से श्री शैलेश शुक्ला का इस्तीफा

परिषद ने उल्लेख किया कि श्री शैलेष शुक्ला कनिष्ठ अधिकारी (राजभाषा), एनएमसीडी लिमिटेड के पद पर नियुक्त के लिए दिनांक 29 जनवरी 2018 से हिन्दी अधिकारी के पद से लिएन पर थे। परिषद ने यह भी कहा

कि श्री शैलेश शुक्ला ने एक और वर्ष के लिए लिएन विस्तार का अनुरोध किया था, लेकिन विश्वविद्यालय के नए दिशानिर्देशों के अनुसार लिएन के लिए पात्र नहीं थे। उन्हें फिर से ड्यूटी करने को कहा गया, जो उन्होंने नहीं किया। अपनी 33 वीं बैठक में परिषद के निर्देशानुसार, श्री शुक्ला को 3 सप्ताह के भीतर ड्यूटी पर वापस का अंतिम मौका दिया गया था। हालांकि, श्री शैलेश शुक्ला निर्धारित अवधि के भीतर ड्यूटी में शामिल होने में असफल रहे।

तदनुसार, श्री शैलेश शुक्ल को पद से इस्तीफा देने के रूप में माना गया था और दिनांक 30.07.2019 से स्थायी रूप से विश्वविद्यालय की सेवा से मुक्त किया गया था। परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की गई।

ईसी 34.3.4: लिएन की समाप्ति

परिषद ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित दो संकाय सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित संस्थानों में शामिल होने के लिए एक वर्ष के लिए लिएन दी गई थी:

क्रं. सं.	नाम	विभाग	कार्यमुक्त किया गया	नियुक्ति
1.	डॉ. मनीष, सह प्राध्यापक	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	31.10.2017	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
2.	डॉ. विमल किशोर, सहायक प्राध्यापक	शिक्षा	31.01.2018	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

इसके बाद उन्होंने एक और वर्ष के लिए लिएन विस्तार का अनुरोध किया था। हालांकि, दोनों संकाय सदस्यों की उनके संबंधित संस्थान में स्थायी नियुक्ति हो चुकी है और तदनुसार स्थायी रूप से कार्यमुक्त किया गया है और दिनांक 31.01.2017 और दिनांक 31.01.2019 को विश्वविद्यालय की कर्मचारी सूची से उनके नाम को हटाने की कारवाई की गयी है।

परिषद ने कुलपति की उपरोक्त कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 34.3.5: निजी महाविद्यालय के शासकीय निकाय में सदस्यों का नामांकन

विश्वविद्यालय की अधिनियम की धारा 31 (1) (i) में स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में शामिल होने वाले प्रत्येक महाविद्यालय में कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित अधिकतम 15 व्यक्तियों का नियमित रूप से गठित शासकीय निकाय होना चाहिए और इसमें से कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों सदस्य होगें।

साल 2016 में कार्यकारी परिषद द्वारा नामित महाविद्यालय के शासकीय निकाय के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों की अवधि के लिए था, जो 2019 में समाप्त हो गया था। तदनुसार, कुलपति ने प्रत्येक चार निजी महाविद्यालय में दो सदस्यों को नामित किया है और नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार दिनांक 02.09.2019 को अधिसूचित किया गया है:

क्रं. सं.	महाविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय के नाम नामांकित
1.	हरकमाया शिक्षा महाविद्यालय, 6 माइल, तदोंग, गंगटोक	i. प्रो एन. के. पासवान डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ii. डॉ. स्वाति के. सचदेवा, सह प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
2.	लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, नामची, दक्षिण सिक्किम	i. प्रो. अभिजीत दत्ता, डीन, व्यवसायिक अध्ययन ii. डॉ. वीणु पंत, अध्यक्ष, इतिहास विभाग
3.	दांबर सिंह महाविद्यालय, 6 माइल, तदोंग	i. प्रो. शांति एस. शर्मा, अध्यक्ष, वनस्पति विभाग

		ii. डॉ. संध्या थापा, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग
4.	हिमालयन फार्मेसी संस्थान, मंजिटर, रंगपो	i. प्रो. एन. सत्यनारायण, वनस्पति विज्ञान विभाग ii. डॉ. नीलाद्रि बाग, सह प्राध्यापक, उद्यानिकी विभाग

परिषद ने उपर्युक्त चार निजी महावविद्यालय के शासकीय निकाय के लिए सदस्य नामित करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 34.3.6: ***प्रो. संजय बंदोपाध्याय की सेवा-निवृत्ति और संगीत विभाग में प्रोफेसर के रूप में अनुबंध पर नियुक्ति***

परिषद ने प्रो. संजोय बंदोपाध्याय की दिनांक 30.09.2019 को सेवा-निवृत्ति का उल्लेख किया।

परिषद ने कुलपति द्वारा प्रो. संजोय बंदोपाध्याय के सेवा-निवृत्ति के बाद अन्य प्रोफेसरों के लिए विस्तारित समान नियम और शर्तों के अनुसार दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से प्रोफेसर (अनुबंध पर) के पद पर रु. एक लाख केवल के मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 34.3.7: श्रीमति ममता प्रधान का नर्सिंग अटेंडेंट पद से इस्तीफा

परिषद ने विश्वविद्यालय को श्रीमति ममता प्रधान के द्वारा किए गए अनुरोध को नोट किया।

परिषद ने श्रीमति ममता प्रधान की लिएन समाप्त करते हुए स्थायी रूप से उन्हें कार्यमुक्त और दिनांक 1 नवम्बर 2019 से विश्वविद्यालय की कर्मचारी सूची से उनके नाम को हटाने के संबंध में कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 34.3.8: लुका पैसिओली व्याख्यान निधि

परिषद ने "सिक्किम के राज्य वित्त का परिणाम मूल्यांकन ...." शीर्षक परामर्श परियोजना से संस्थागत भुगतान के बाद जांचकर्ताओं को मानदेय के रूप में संचित राशि से ₹ 2,92,000/- (रुपये दो लाख निन्यानवे हजार) की सावधि जमा के साथ लुका पैकिओली व्याख्यान निधि के लिए अक्षय निधि के सृजन के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 34.3.9: विश्वविद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

परिषद ने निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की:

i) दिनांक 14 नवम्बर को सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय के साथ पारस्परिक शैक्षणिक और शिक्षण सहयोग पर समझौता किया गया।
ii) दिनांक 02 अक्टूबर 2019 को जैव-संसाधन और सतत विकास संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
iii) दिनांक 13 सितम्बर 2019 को जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण आर सतत विकास संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
iv) दिनांक 04 सितम्बर 2019 को बायोटेक पार्क के साथ समझौता ज्ञापन किया गया।
v) दिनांक 09 अप्रैल 2019 को मानव सुरक्षा अध्ययन के साथ एमओयू केआईवाईए गया।

खंड-4

विचारार्थ और अनुमोदनार्थ विषय

ईसी 34.4.1: वैधानिक पदों पर कार्य कर रहे सेवानिवृत्त व्यक्तियों और अनुबंध पर कार्यरत प्रोफेसरों के पारिश्रमिकमें वृद्धि

परिषद ने उल्लेख किया वैधानिक पदों पर कार्य कर रहे सेवानिवृत्त व्यक्तियों और अनुबंध पर कार्यरत प्रोफेसर के वर्तमान पारिश्रमिक रूपय 1,00,000 (केवल एक लाख) प्रति माह को दिनांक 15 नवंबर 2014 को आयोजित कार्यकारी परिषद की 21 वीं बैठक में संशोधित किया गया था।

काफी विचार-विमर्श के बाद, परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा वैधानिक पदों पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों और अनुबंध पर कार्यरत प्रोफेसरों के पारिश्रमिक को वर्तमान में रु 1,00,000 प्रति माह से बढ़ाकर रु 1,25,000 प्रति माह करने की मंजूरी प्रदान की है। परिषद ने विश्वविद्यालय को केवल 70 वर्ष की आयु तक के प्रोफेसरों को नियुक्त करने की सलाह दी। इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो संयुक्त प्रोफेसर के रूप में रखा जा सकता है।

ईसी 34.4.2: डॉ. रफीउल अहमद, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग का इस्तीफा

परिषद ने उल्लेख किया कि डॉ. रफीउल अहमद, सहायक प्राध्यापक ने इस्तीफे के लिए अध्यादेश ओबी-7 के तहत आवश्यक सूचना अवधि (नोटिस पीरियड) को पूरा कर चुके है।
परिषद ने दिनांक 31.01.2020 से डॉ. रफीउल अहमद, सहायक प्राध्यापक के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है।

ईसी 34.4.3: श्री चन्दन तालुकदार, संयुक्त सचिव की लिएन अवधि को बढ़ाना

परिषद ने उल्लेख किया कि श्री चंदन तालुकदार, संयुक्त कुलसचिव दिनांक 10.09.2018 से लिएन पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय में उप कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। उनका लिएन दिनांक 9.9.2019 को समाप्त हो गया था। श्री तालुकदार को गुवाहाटी विश्वविद्यालय में स्थाई नियुक्ति के लिए तीन से छह महीने का समय लग सकता है, इसलिए उन्होंने दिनांक 10.09.2019 से छह महीने के लिए लिएन के विस्तार का अनुरोध किया था।

परिषद ने श्री चन्दन तालुकदार को दिनांक 10.09.2019 से छह महीने के लिए लिएन अवधि विस्तार की स्वीकृत दी है।

ईसी 34.4.4: प्रो. नूतन कुमार एस थिंगुजाम, प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग को कार्यमुक्त

परिषद ने उल्लेख किया कि **प्रो. नूतन कुमार एस थिंगुजाम** ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए है और विश्वविद्यालय से दिनांक 21.12.2017 को लिएन से कार्यमुक्त कर दिया गया। उन्हें त्रिपुरा विश्वविद्यालय में दिनांक 22.12.2017 से स्थाई नियुक्ति दी है।

परिषद ने प्रो. नूतनकुमार एस. थिंगुजाम को स्थाई रूप से कार्यमुक्त करने और दिनांक 21.12.2017 से विश्वविद्यालय की कर्मचारी सूची से उनके नाम को हटाने की स्वीकृत प्रदान की है।

ईसी 34.4.5: डॉ. राजेश राज एस.एन का अध्ययन अवकाश

परिषद ने उल्लेख किया कि डॉ. राजेश राज एस. एन, सह प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग ने हेलसिंकी, फिनलैंड में यूएनयू-विंडर विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दिनांक 01.03.2020 से 92 दिनों के लिए अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन किया था। अर्थशास्त्र विभाग ने उनकी छुट्टी पर विचार करने की सिफारिश की थी।

परिषद ने डॉ. राजेश राज एस.एन. को हेलसिंकी, फिनलैंड में आयोजित यूएनयू-विंडर विजिटिंग स्कॉलर प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दिनांक 01.3.2020 से 92 दिनों के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की है।

ईसी 34.4.6: किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन और समान शैक्षणिक कार्यक्रम में भागीदारी/पर्चा प्रस्तुति आदि के लिए पात्रता और अनुदान की मात्रा के लिए दिशानिर्देश

परिषद ने उल्लेख किया कि संकाय के साथ-साथ छात्रों के लिए भारत या भारत के बाहर यूजीसी के मौजूदा नियमों और विश्वविद्यालय की वित्तीय बाधाओं पर विचार हुए किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन और समान शैक्षणिक कार्यक्रम में भागीदारी/पर्चा प्रस्तुति आदि के लिए पात्रता और अनुदान की मात्रा के दिशानिर्देश तैयार करने हेतु समिति गठित की गई थी।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को एक समूह में रखते हुए रु 75,000 अधिकतम वित्तीय सहायता के अधीन प्रारूप दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान की है। स्वीकृत दिशानिर्देश **परिशिष्ट -1** में हैं।

ईसी 34.4.7: अनुबंध का विस्तार

क. शिक्षण कर्मी के अनुबंध का विस्तार

परिषद ने भूटिया, लिम्बू और लेप्चा विभागों के निम्नलिखित शिक्षण कर्मी को मौजूदा नियमों और शर्तों पर अगले छह महीने के लिए अनुबंध विस्तार की स्वीकृत प्रदान की है।

क्रं. सं.	नाम	पद	विभाग
1.	श्री भाईचुंग छिरिंग भूटिया	सह प्राध्यापक	भूटिया
2.	डॉ. हिस्से वांगचुक भूटिया	सहायक प्राध्यापक	
3.	श्री बाल बहादुर सुब्बा	सह प्राध्यापक	लिम्बू
4.	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	सह प्राध्यापक	लेप्चा
5.	सुश्री दुकमित लेप्चा	सहायक प्राध्यापक	

ख. प्रोफेसर की अनुबंध नियुक्ति का विस्तार

परिषद ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित प्रोफेसर (अनुबंध पर) प्रत्येक के सामने दिखाए गए तारीखों तक रूपय 1,00,000 (रु एक लाख केवल) प्रति माह के मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त हैं:

क्रं. सं.	नाम	विभाग	तिथि तक नवीकृत
1.	प्रो. टी. के. सरकार	रसायन	24.09.2019
2.	प्रो. विनोद चन्द्र तिवारी	भूविज्ञान	31.12.2019
3.	प्रो. पी. के. शर्मा	गणित	31.12.2019
4.	प्रो. ए. पी. पाठक	भौतिकी	31.01.2020

परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि प्रत्येक उपरोक्त मामलों में विभाग के प्रमुख और संबंधित विद्यापीठ के डीन के माध्यम से स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट और छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है।

परिषद ने अनुबंध पर नियुक्त प्रोफेसरों के अवधि विस्तार को दिनांक 31.07.2020 तक मंजूरी किया है, 70 वर्ष से अधिक आयु के बाद, विश्वविद्याल उन्हें संयुक्त प्रोफेसरों के रूप में नियुक्त करने का निर्णय ले सकता है।

ईसी 34.4.8: सहायक प्राध्यापक के सीएएस के तहत अगले चरण में नियुक्ति के लिए छानबीन सह मूल्यांकन समिति की कार्यवाई

परिषद ने निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक के चरण में I से II में सीएएस के तहत नियुक्ति में प्रत्येक के दिए गए तारीखों के अनुसार छानबीन सह मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है:

क्रं. सं.	नाम	विभाग	चरण -II में नियुक्त की तारीख
1.	डॉ. देवचंद्र सुब्बा	नेपाली	25-02-2019
2.	डॉ. संतोष कुमार	संगीत	05-10-2018
3.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार		04-09-2017
4.	डॉ. डेंकिला भूटिया	विधि	03-11-2017
5.	डॉ. सोनम यांगछेन भूटिया		25-02-2019
6.	डॉ. कर्मा डिकी भूटिया	उद्यानिकी	12-12-2018
7.	डॉ. मईबाम सेमसन सिंह	मानवशास्त्र	24-04-2018
8.	डॉ. सांगमु थेंडुप	इतिहास	29-03-2017
9.	डॉ. थोडम रोशन सिंह	गणित	05-05-2018
10.	श्री विधान गोले	राजनीतिक विज्ञान	29-11-2012
11.	डॉ. अब्दुल हन्नान	भूगोल	29-03-2016

ईसी 34.4.9: कोर्ट के गठन और बैठक के लिए संविधि 10 में संशोधन

परिषद ने उल्लेख किया कि एसयू अधिनियम की धारा 21 (1) नीचे दी गई है, "*कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों के पद का कार्यकाल अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाएगा।* हालांकि, विश्वविद्यालय के अधिनियम में कोर्ट का गठन और कार्यकाल की अवधि के बारे कोई उल्लेख नहीं है।

परिषद ने आगे नोट किया कि संविधि 10 में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए कोर्ट के गठन एवं बैठक पर एक मसौदा संविधि दिनांक 31.03.2014 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 19वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

आगंतुक के सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित संशोधन को एमएचआरडी को दिनांक 9.5.2014 को भेजा गया था।

परिषद ने यह भी उल्लेख किया कि एमएचआरडी के साथ लगातार मामले का अनुसरण करने के बाद, उन्हें दिनांक 27.5.2019 के उनके पत्र की सूचना दी गई थी कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के समान प्रस्ताव को विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय की अधिसूचना की प्रति संलग्न की गई थी जिसमें पत्र में इस संबंध में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिसूचना के अनुसार में अधिनियम 10 के प्रस्तावित संशोधन की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। अधिनियम 10 में प्रस्तावित संशोधन को इसके अनुसार ही संशोधित किया गया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद कोर्ट के संविधान के अनुरूप अधिनियम 10 के संशोधित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृत संशोधित अधिनियम 10 के संशोधन परिशिष्ट -2 पर रखा गया है।

ईसी 34.4.10: वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

प्रो. ज्योति प्रकाश तमांग, डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ और वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के संपादकीय मण्डल के अध्यक्ष ने परिषद के सामने प्रस्तुति दी और वर्ष 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा हासिल प्रमुख उपलब्धि पर प्रकाश डाला।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को संसद के दोनों सदनों की तालिका के समक्ष रखने के लिए एमएचआरडी को मुद्रित संस्करण भेजने की मंजूरी दी।

ईसी 34.4.11: प्रो. शिलाजीत गुहा द्वारा प्रस्तुत अपील

परिषद ने उल्लेख किया कि आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की सिफारिशों पर दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित अपनी 33 वीं बैठक में कार्यकारी परिषद ने प्रो. **शिलाजीत** गुहा को यौन उत्पीड़न के आरोप में सभी कार्य से निलंबित कर दिया था।

प्रो. गुहा ने अब आईसीसी की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को रद्द करने की अपील प्रस्तुत की है।

परिषद ने यह भी ध्यान दिया कि सिक्किम के उच्च न्यायालय में प्रो. सिलाजीत गुहा द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई है।

परिषद ने मामला न्यायलयाधीन होने के कारण प्रो. शीलाजित गुहा की अपील पर जांच नहीं करने का फैसला किया है।

सूचीबद्ध विषय

ईसी 34.4.12: संशोधित भर्ती और पदोन्नति नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2019

परिषद ने उल्लेख किया कि कुलसचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2017 को भर्ती और पदोन्नति नियमों (गैर-शिक्षण) 2016 की समीक्षा करने और हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देने के लिए समीक्षा समिति का गठन को किया गया था। परिषद ने आगे उल्लेख किया कि समिति की 15 बैठकें हुईं। जिनमें गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों से परामर्श किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट और पूर्व के भर्ती नियम को संशोधित करते हुए भर्ती और पदोन्नति नियम (गैर-शैक्षणिक) का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया।

परिषद के सदस्यों ने इस प्रयास की सराहना की और संशोधित भर्ती और पदोन्नति नियम (गैर-शिक्षण) 2019 को स्वीकृत प्रदान की।

परिषद ने आगे निर्देश दिया कि उन मामलों में जहां पहले के नियमों के तहत विज्ञापन जारी किया गया है और भर्ती प्रक्रिया जारी है, उन मामलों को पुराने नियमों के तहत माना जा सकता है।

खंड – 5
प्राधिकरण और समितियों के कार्यवृत

ईसी 34.5.1: दिनांक 25 नवम्बर 2019 को आयोजित 26वीं शैक्षणिक परिषद की बैठक का कार्यवृत

परिषद ने दिनांक 25 नवम्बर 2019 को आयोजित 26वीं शैक्षणिक परिषद की बैठक के कार्यवृत का उल्लेख किया। विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद ने निम्नलिखित को विशेष स्वीकृत दी:

i) संबंधित विभागों से प्राप्त विशेषज्ञों की सूची और कुलपति को उस सूची से चयन समितियों के लिए विशेषज्ञों की आवश्यक संख्या को नामांकित करने के लिए अधिकृत करना।

ii) भूविज्ञान विभाग द्वारा पर्यावरण विज्ञान में एमएससी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव।

iii) दोनों मसौदा अध्यादेश में निम्नलिखित बदलाव के अधीन ओसी-6 (एमफिल कार्यक्रम पर) और ओसी-7 (पीएचडी कार्यक्रम पर) का संशोधित मसौदा अध्यादेश:

क) शोध सलाहकार समिति के लिए:

विभाग में प्रत्येक शोधकर्ता के लिए संयोजक के रूप में अनुसंधान पर्यवेक्षक के साथ अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी) होगी। अनुसंधान पर्यवेक्षक अपने विभाग और अन्य विभागों से अधिकतम चार पात्र सदस्यों का सह-चयन कर सकता है।

ख) *विभागीय परिषद के लिए:*
चार योग्य स्थायी संकाय सदस्यों को लेकर एक विभागीय परिषद (डीसी) होनी चाहिए।

यह प्रशासनिक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है और शोधार्थियों से संबंधित पर्यवेक्षक की नियुक्ति, पर्यवेक्षक का परिवर्तन, फेलोशिप का विस्तार, शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की तिथि का विस्तार, पंजीकरण रद्द करना आदि सहित प्रशासनिक मामलों में निर्णय लेता है और बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

k)जुलाई 2020 से सूचना और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सूचना और पुस्तकालय विज्ञान विभाग की शुरुआत।

l) अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए बीएससी भूविज्ञान के प्रवेश को रोक कर रखना।

m) विश्वविद्यालय के अधिनियम 15(6)(ए) में संशोधन कर भूविज्ञान विभाग का नाम पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान करने के लिए प्रस्ताव।

n)फरवरी/मार्च 2020 के अगले निरीक्षण से पहले प्रत्येक मामले में निरीक्षण दल द्वारा दी गई शर्तों के अनुपालन के अधीन शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सिक्किम सरकारी नर्सिंग महविद्यालय, गंगटोक; सिक्किम विज्ञान और तकनीकी संस्थान और सरकारी फार्मेसी महविद्यालय को अस्थायी दिया जाए।

o)निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन नामची सरकारी महविद्यालय को स्थायी संबद्धता प्रदान करना।

p)निरीक्षण दल द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन रेनॉक सरकारी महविद्यालय को स्थायी संबद्धता प्रदान करना।

q)एनआईटी की कानूनी स्थिति की पुष्टि कि क्या यह एक सरकारी संस्थान है या ट्रस्ट/सोसायटी द्वारा संचालित संस्थान है के अधीन नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) को शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अस्थायी संबद्धता दी गयी है।

r) प्रस्तावित एमफिल और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना और पाठ्यक्रम पर स्पष्टीकरण के अधीन शैक्षणिक सत्र 2020-21 से एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए अस्थायी संबद्धता का अनुदान।

ईसी 34.5.2: दिनांक 4 अक्तूबर 2019 को आयोजित 24वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवृत

परिषद ने 4 अक्टूबर 2019 को आयोजित वित्त समिति की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया और निम्नलिखित को स्वीकृति प्रदान की:

i) वार्षिक लेखा 2018-19

ii) अनुशंसित रूप में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन। हालांकि, ये अंकित किया गया कि टेलीफ़ोन और बिजली पर खर्च वैधानिक भुगतान नहीं है, इसलिए फूटनोट से निकाला जाए।

परिषद ने इच्छा जताई कि वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के सुचारू संचालन के लिए वित्त अधिकारी द्वारा संबंधित मदों के अधीन प्रतिनिधिमंडल में उल्लिखित प्रत्येक प्राधिकरण को धन आवंटित किया जा सकता है।

खंड- 6

अध्यक्ष की तरफ से विषय

ईसी 34.6.1: कुलपति ने परिषद को सूचित किया कि उन्होने डॉ. योडिडा भूटिया, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के खिलाफ छात्रों के एक समूह द्वारा नकारात्मक, असाधारण पठन-पाठन का माहौल और छात्रों के प्रति दमनकारी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप छात्रों में चिंता, अक्षमता आदि की भावना की शिकायत की जांच के लिए प्रो. नवल किशोर पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, डॉ. कविता लामा, डीन, भाषा और साहित्य के साथ समिति का गठन किया है, उसी दिन एक अन्य आदेश से, डॉ योडिडा भूटिया को अगले आदेशों तक अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया और प्रो. अभिजीत दत्ता, डीन, व्यवसायिक अध्ययन को अध्यक्ष, शिक्षा विभाग के कर्तव्यों और कार्यों को निर्वाह करने के लिए कहा गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जांच निष्पक्ष रहे। डॉ. योडिडा भूटिया को शिक्षा विभाग के किसी भी छात्र के परीक्षक और मूल्यांकनकर्ता के कार्य से भी हटाया गया था। प्रो. दत्ता को डॉ. योडिडा भूटिया के स्थान पर परीक्षक और साथ ही मूल्यांकनकर्ता के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।

जांच समिति ने विद्यार्थी और डॉ. योडिडा भूटिया से बातचीत/पूछताछ के बाद दिनांक 6 दिसम्बर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
समिति के अपने अवलोकन में इंगित दूसरे बिंदु:

i) विभाग ने एमएड कार्यक्रम की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है।
ii) अध्यक्ष और संकाय सदस्य और साथ ही विद्यार्थी के बीच संवाद और विश्वास की कमी है।
iii) संकाय सदस्य और विद्यार्थी दो समूह स्थानीय और गैर-स्थानीय में विभाजित है।
iv) डॉ. भूटिया के कुछ पसंदीदा विद्यार्थी की ओर पक्षपातपूर्ण या आंशिक रवैया है। वह कुछ छात्राओं के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी भी करती है।
v) छात्रों के पदक प्रभावित करने के उद्देश से अंक कम करने की धमकी देना और निशाना बनाना।
vi) सभी विद्यार्थी को सामान्य रूप से व्यवहार नहीं करना और पक्षपात और क्षेत्रवाद दिखाना।
vii) अभी भी कक्षा प्रतिनिधि (सीआर) और उप-वर्ग प्रतिनिधि (वीसीआर) होने का चलन जारी है।
viii) अतिथि संकाय कुछ पसंदीदा विद्यार्थी को उकसाने और एकजुट करने का कार्य करते है।

कुलपति ने आगे परिषद को सूचित किया कि उन्हें अध्यक्ष के खिलाफ साल भर में गुमनाम शिकायतें मिली हैं, लेकिन वह उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको परामर्श देंगे। उन्होने परिषद को सूचित किया कि यह उनके विरुद पहला बड़ा मामला है, वे उन्हें सुधार के लिए एक मौका देगे। तदनुसार, निम्नलिखित कारवाई की गई:

क) उनकी अध्यक्षता को पुनर्स्थापित करें लेकिन वह अगले सत्र के लिए कोई कक्षा नहीं लेगी ताकि उन्हें पीजी छात्रों की परीक्षा और मूल्यांकन से दूर रखा जाए।
ख) अगले सत्र के दौरान उन पर कड़ी नज़र राखी जाएगी। यदि उनमें कोई सुधार नहीं होता है तब उसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ग) उनकी चूक के लिए एक चेतावनी (रिकॉर्ड करने योग्य) वाला मेमो जारी किया जाएगा।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्यकारिणी परिषद

हस्ता./-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी परिषद